डाक -व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति - पत्र क्र. रायपुर - सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 252] रायपुर, गुरुवार दिनांक 8 नवम्बर 2001, कार्तिक 17, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ -10-372/2001/वा.क./पांच (63) — छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (1995 का क्र. 5) की धारा 17 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे अनुसूची के कालम (2) में उल्लेखित वस्तुओं के श्रेणी को कालम (3) में दर्शायी गई सीमा तक शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 31-3-2002 तक धारा 10 (ए) के अन्तर्गत कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है .

अनुसूची

अनुक्रमांक 1	वस्तुओं की श्रेणी 2	छूट की सीमा 3
1	हेसियन क्लॉथ एवं बैग	संपूर्ण कर

Raipur, the 8th November 2001

NOTIFICATION

No. F-10-372/2001/CT/V(63).— In exercise of powers conferred by Section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) the State Government hereby exempt the class of goods specified in column (2) of the schedule below from payment of tax under Section 10-A to the extent specified in column (3) with effect from the date of publication in the official Gazette upto 31-3-2002.

SCHEDULE

S.No. (1)	Class of Goods (2)	Extent of Exemption (3)
1.	Hessian Cloth and Bags	Whole of Tax

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप- सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ -10-372/2001/वा.क./पांच (64).— छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (1976 का क्रमांक 52) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा हेसियन क्लॉथ को उक्त अधिनियम के अंतर्गत शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 31-03-2002 तक कर के भुगतान से पूर्णत: छूट प्रदान करती है.

Raipur, the 8th November 2001

NOTIFICATION

No. F-10-372/2001/CT/V(64).— In exercise of powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) the State Government hereby exempt Hessian Cloth from payment of tax in whole under the said Adhiniyam with effect from the date of publication in the official Gazette upto 31-03-2002.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2001.